चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 08.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 08.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 08.06.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना कोतवाली कर्वी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान तहसीलदार कर्वी श्री वाचस्पति सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक 08.06.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना रैपुरा, थाना मऊ एवं थाना बरगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा

भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान थाना रैपुरा में थानाध्यक्ष श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय तथा थाना मऊ में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध खनन/परिहन पर रोक लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम गड़ौली से ट्रक्टर-ट्राली रजि0 नं0 यूपी0 96 0921 पर अवैध बालू लादकर परिवहन करते हुये अभियुक्त ट्रक्टर चालक रामकृष्ण द्विवेदी उर्फ चुन्नू पुत्र शिवसेवक द्विवेदी, धनन्जय द्विवेदी उर्फ मुन्ना पुत्र शिवसेवक द्विवेदी निवासीगण गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर-ट्राली को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया तथा अवैध खनन करने पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 94/2024 धारा 379,411 भादवि0 व 4/21 खनिज अधिनियम व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

अवैध बालू लदी ट्रक्टर-ट्राली रजि0 नं0 यूपी0 96 0921

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाणडेय थाना सरधुवा
2.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा
3.आरक्षी शक्ति सिंह
4.आरक्षी राहुल पुरी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 98/2018 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त छोटू सिंह पुत्र गनपत सिंह निवासी खजुरिया कलां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे थाना रैपुरा
2.आरक्षी अंकित शुक्ला

(7). आज दिनाँक 08.06.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर प्रभारी उपजिलाधिकारी राजापुर श्री फूल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनाँक 08.06.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार की उपस्थिति में थाना राजापुर के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम में विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से वार्ता की गयी तथा विवेचना लम्बित रखने का कारण पूछते हुये त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस दौरान सभी विवेचकों से बताया गया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आईजीआरएस के प्रार्थना पत्रों की जांच समय से करते हुये आख्याऐं प्रेषित करते रहें अकारण कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित न रखा जाये।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0स0- 293/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मऊ के वांछित अभियुक्त मोहम्मद अकरम पुत्र इबरार अहमद निवासी ग्राम सकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उ0प्र0 उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया 1

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव थाना मानिकपुर
2.मुख्य आरक्षी नियाज राईन
3.आरक्षी गजेन्द्र सिंह

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 109/24 धारा 376 भादवि व 5(ई)/6 पाक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त विकास सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उम्र 28 वर्ष को को गिरफ्तार किया गया 1

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह
2.प्रभारी चौकी सरैया श्री यदुवीर सिंह
3.आरक्षी जलील अहमद
4.आरक्षी मनोज कुमार

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने खोये हुये मोबाइल को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 03.06.2024 को आवेदक नीलचंद पुत्र लाल चंद्र निवासी अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में CEIR पोर्टल पर शिकायत की थी। थाना मऊ पुलिस टीम को मोबाइल की लोकेश प्राप्त हुयी जिसमें थाना मऊ में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर अर्जुन यादव, आरक्षी मुन्सी जितेन्द्र प्रताप एवं महिला आरक्षी शिवानी यादव द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 08.06.2024 मोबाइल को बरामद किया गया तथा मोबाइल नीलचन्द उपरोक्त को थाना मऊ में बुलाकर मोबाइल उनके सुपुर्द किया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया।

बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-

1.कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जुन यादव थाना मऊ
2.महिला आरक्षी शिवानी यादव
3.आरक्षी मुंशी जितेंद्र प्रताप